Couple died coming under debris of 'Kuccha' DU

Due to collapse of wall and rooftop made of 'murrum', plastic

Central Chronicle News

Balod, Jun 30: A couple living in 'Kuccha' dwelling unit (DU) in Gram Sirpur under Devari thana died coming under debris of the DU when it collapsed. Due to incessant rains for last few days, the wall and roof of the house collapsed.

It was on the intervening night of Wednesday that both Santram Yadav, (55) and his wife Kunti Bai (50), were sleeping in their house and during rains the roof and wall collapsed all of sudden and both died on the spot. With heavy rains slashing the whole night, nobody came to know about it.

It is notable here that roof of the DU in which the couple were living was with made from Plastic and 'murrum' and since it was raining continuously, the walls became wet and collapsed, bringing down the rooftop as well. The most surprising thing here is that nobody heard the noise from falling of the wall.

Both the couple remained inside the debris whole night and in the morning the villagers came to know about it. Just at a short distance, the son sleeping in the 'pucca' house was also not aware of the same. The final rites of both were performed the next day at Lohara Community Health Centre.

PM Aawas constructed two yrs back

As per information in this regard, the DU of the couple was constructed two years back and in the 'pucca' DU their son Deepak Yadav and others used to live, whereas the old couple used to live in their old 'kuccha' house. In the morning when Jitendra Sen and other neighbours knocked at the door, nobody responded and then they came to know that both mother and father of Deepak have died.

Compensation of Rs 4 lakh made

On getting information about the incident, both the police and revenue department team reached the site and started the procedure of providing due compensation. SDM Pratima Thakre informed that immediately after this incident, the case was prepared and a compensation case of Rs 4 lakh each to the victim of house collapse was made and sent and hopefully the family would get the compensation soon.

Lack of drainage leading to waterlogging

- In ward No. 13 of Maniyari Gram Panchayat

Central Chronicle News

Berla, Jun 30: In ward No. 13 of Gram Panchayat Maniyari of Janpad Panchayat Berla, the people are facing lots of problems due to waterlogging.

The seniors of the village said that the demand for construction of proper drainage and CC Road is being made for last 13 yrs, but till date no development work has taken place. At the same time, with no proper drainage of rain-water and water from houses and lack of CC road, is leading to stale water coming to the lanes and by-lanes in the village.

It is notable here that with intermittent rains for last three days, the rainwater has got collected in the lanes and with lanes already with potholes it is not getting cleared or drying up due to lack of proper drainage system and this has made the entire terrain muddy and posing threat to water-borne diseases during rainy season.

Ritu make debut as playback singer in Bollywood

Lends her voice to a song in film 'Crazy4Dance' to be released on July 7

Central Chronicle News

Kotami, Jun 30: Girl from village Kotami Ritu Gupta has won the hearts of many with her singing talent that of Chhattisgarh folk and Hindi songs in Mumbai film city. Ritu Gupta has now made debut as playback singer into Bollywood singing by lending her voice in the song in the film 'Crazy-4dance' to be released in all theatres in country on July 7 and bringing laurels to her family and village and state.

Ritu Gupta (26), D/o Suraj Gupta, R/o Kotami and her father is a businessman. Her father said that he is proud of her daughter and wants to see that seeing the talent of his daughter, other girls from region too should come forward in the field of singing and bring laurels to their city and state.

On successful entry of Ritu Gupta into Bollywood film through play-back singer, social worker Saroj Ratan Kesarwani, Satish Sharma, Krishna Kumar Sahu, KS Penado, and others have extended greetings to her and wished her all the best in all her future endeavours.

Two nabbed with illicit liquor worth Rs 3200

Central Chronicle News

Dongargarh, Jun 30: Dongargarh police nabbed two under the section 34 (2) of Excise Act and seized 8 bottles of Premium Whiskey IMFL totalling 6 bulk litre of liquor worth Rs 3200. The motorcycle used in transporting the liquor, bearing No. CG 04 KU 1570 was also seized. The two accused are- Tarun K Vishwakarma, S/o Basant Kumar (35), R/o Lamanibhata and other is Khoman Dhruve S/o Tekram Dhurve, (22), R/o Lamanibhata. It was on tip from an informer that the above two accused were nabbed by TI Ramawatar Dhruv. A case under section 34 (2) of Excise Act was filed against the two and both were produced in the Court and sent to jail.

MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED

muthoot HOUSING FINANCE

Registered Office: TC NO.14/2074-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034, **CIN NO U65922KL2010PLC025624**

Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinee Crescenzo, Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051. TEL. NO: 022-62728517, **Authorised Officer Email ID: authorised.officer@muthoot.com, Contact Person: Ankit Goel - 7008254155.**

PUBLIC NOTICE - AUCTION CUM SALE OF PROPERTY

Sale of Immovable Assets Under Securitization And Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002

In exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorized Officer of the Muthoot Housing Finance Company Ltd., (hereinafter referred to as the "Company") has taken the possession of under mentioned properties (hereinafter referred to as "Secured Asset") and held as security in respect of **HOUSING** Loan facilities granted to below mentioned customers (hereinafter referred to as "Borrowers") and further It has been decided to sell the Secured Asset on **"as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "no recourse"** basis/conditions by inviting sealed tenders from public in respect of the secured debt amounting to amount in below with further interest and expenses thereon till final payment of the overdue from Borrowers.

S. No.	Name of Borrower/s & LAN	Description of Property	Possession Type & Date	Total O/s Amount (Rs.) Future Interest Applicable	Reserve Price / E.M.D.
1.	LAN No.: 18600082042 Sushil Kumar Tribhuvan Nath Mishra, Rannu Sushil Kumar Mishra	Mauza Boriyakhurd Krishna Nagar, R N M Raipur Part Of Kh No 191 64, P H No 118, Ravindranath Tagore Ward No 51,Behind Canara Bank, Middle, Raipur H.O, Chattisgarh, 492001	Physical Possession - 18-05-2023	Rs.23,99,597/- as on 30-June-2023	Rs.48,00,000/- / Rs.4,80,000/-

Inspection Date & Time : 10-July-2023 & 11-July-2023 at 10.00 AM to 05.00 PM

Auction Date: 18-July-2023 10.00 AM to 03.00 PM & Last date for Submission of Bid: 17-July-2023

Place of Sale Raipur Branch: 2Nd Floor, House No-771, Kanaiya Bhavan, Sundar Nagar, Khushalpur Road, Ring Road Chowk, Raipur, Chattisgarh -492001

Intending bidders may inspect the properties on the date and time as mentioned above.

Terms & Conditions of public auction:- 1) Sale is strictly subject to the terms and conditions mentioned hereunder as per extant guidelines under SARFAESI Act, 2002 & also the terms and condition mentioned in the offer/ tender document to be submitted by the intending bidders. **2)** The property will be sold on **"As is where is" and "As is what is" "whatever there is" and "no recourse"** condition, including encumbrances, if any. **3)** The properties under auction can be inspected on the date & time specified above. For any queries with regards to inspection of properties or submission of tenders, kindly establish contact to The Authorised Officers at respective locations on above mention contact numbers. The interested buyers may send theirs offers for the above property in a sealed cover along with **Demand Draft Payable at Mumbai favoring "Muthoot Housing Finance Company Limited"**, towards earnest money deposit (EMD) 10% of Reserve Price. **4)** Along with offer documents, the intending bidder shall also attach a copy of the PAN card issued by the Income Tax department AND bidder's identity proof and the proof of residence such as copy of the Passport, Election Commission Card, Ration Card, Driving license etc. **5)** In no eventuality the property would be sold below the reserve price. **6)** The bidders present in the auction would be allowed to increase their offer multiples of **Rs.10000/-** in addition to Reserve Price fixed. **7)** All dues and outgoings, i.e., Municipal Taxes, Maintenance / Society Charges, Electricity and water taxes or any other dues including Stamp Duty, Registration Charges, Transfer Charges and any other expenses and charges in respect of the registration of the Sale Certificate in respect of the said properties shall be paid by the successful bidder/purchaser. **8)** The successful bidder/purchaser shall have to pay 25% of the final bid amount (after adjusting 10% of the E.M.D. already paid) within next working days from the acceptance of the offer by the Authorized Officer in respect of the sale, failing which, the earnest money deposit will be forfeited. **9)** The balance 75% of the Sale price shall have to be paid within 15 days of conveying the confirmation of the sale to the successful Purchaser by the Authorized Officer or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorized Officer. **10)** The Authorized Officer reserves his right to vary any of the terms and condition of this notice for sale, without prior notice, at his discretion. **11)** In case, all the dues together with all cost, charges and expenses incurred by the Secured Creditor are tendered by the above name borrower / co-borrower till **one working day prior to the date of Auction** then the property will not be sold and all the bids received from the prospective bidders shall be returned to them without any liability / claim against M/s Muthoot Housing Finance Company Ltd.

The borrower/guarantor/mortgagor are hereby given **STATUTORY 15 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9 of The Security Interest (Enforcement) Rules of SARFAESI ACT** to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with upto date interest and expenses within above mentioned days from the date of this notice failing which the Secured Asset will be sold as per the terms and conditions mentioned above. Borrower/s are also requested to remove their uncharged belongings from the property within **15 days'** time else it will be removed from property on their risk and cost.

Place : Chattisgarh
Date: 01-07-2023

Sd/- Authorised Officer
For Muthoot Housing Finance Company Limited

DRENCHED DILEMMA

Pandaria: With just two-days of rains in the region, the Swami Atmanand School ground has turned into a 'pond'. So far lakhs have been spent to make things organised in this School. Though it did not rained on Thursday, but due to lack of water outlet and water remained clogged and due to which students and teachers had to face lots of problems in reaching upto the school.

School entrance festival celebrated with enthusiasm

Korea, Jun 30: On the occasion of the inauguration of the education session 2023-24 and the school entrance festival, a development block level program was organized at the Government Ramanuja Higher Secondary School here under the chief hospitality of the District Panchayat Vice President Vedanti Tiwari. District Panchayat Baikunthpur President Saubhagyavati Singh Kusro, Municipality Baikunthpur President Navita Shivhare along with local public representatives, officers-employees, principals of schools, teachers, parents and school children were present on this occasion.

Five from Dongargarh felicitated in prog by MSS

- In Nagpur

Central Chronicle News

Dongargarh, Jun 30: Mahila Shashaktikaran Sangh (MSS) on occasion of Jayanti of Chatrapati Shivaji Maharaj, organised a programme in 'Dikshabhoomi' of Dr Ambedkar Cultural auditorium in Nagpur.

During this a seminar was also organised on Future of Youth, employment opportunities in country and abroad; role of youth in 'Samantavadi Andolan'; condition of youth in the filed of science, arts, commerce, technical know-how, singing, music, journalism, trade, education and skills.

Chief Guest of the programme was Dr Prashant Narnaware Commissioner Social Justice Department and special guests was Siddharth Dy. Commissioner Social Justice Department, Nagpur; Jayant Ramtek. It was chaired by Bhadant Dr Chandkriti.

National Gen. Secy. HK Azad said that Chatrapati Shivaji Maharaj should never be forgotten. Dr Bhadant Chandrakirti Bhante asked the students to move forward in the field of business and trade. Dr Naranware and Siddharth also addressed the gathering.

On this occasion, around 200 students of Maharashtra and Madhyra Pradesh and Chhattisgarh were felicitated. A total of 20 poor students of Class 10th and 12th were presented scholarship.

In this programme, 5 students from Dongargarh were also feliciated and Pankaj Dongare was presented with scholarship of Rs 5000. In the same way the students Atharv Bombard, Pankaj Dongre and Nikhil Sahare, Dimple Jambhulkar were felicitated for best performance in Higher Secondary School exam.

JANA SMALL FINANCE BANK
(A scheduled commercial bank)

Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071.

Branch Office: Krishna Complex, Opp. Aurobindo Netralaya, Main Road, Sadar Bazar, Raipur-492001

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SARFAESI ACT, 2002.

Whereas you the below mentioned Borrower's, Co-Borrower's, Guarantor's and Mortgagors have availed loans from **Jana Small Finance Bank Limited,** by mortgaging your immovable properties. Consequent to default committed by you all, your loan account has been classified as **Non Performing Asset,** whereas **Jana Small Finance Bank Limited** being a secured creditor under the Act, and in exercise of the powers conferred under section 13(2) of the said Act read with rule 2 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued **Demand notice** calling upon the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors as mentioned in column No.2 to repay the amount mentioned in the notices with future interest thereon within **60 days** from the date of notice, but the notices could not be served on some of them for various reasons.

Sr. No.	Name of Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagor	Loan Account No. & Loan Amount	Details of the Security to be enforced	Date of NPA & Demand Notice date	Amount Due in Rs. / as on
1	1) Mr. Darshan Das Sarjal, S/o. Dev Das, (Prop. M/s. Jyoti Kirana and General Store), 2) Mr. Dev Das, S/o. Bhaggu Das, 3) Mrs. Anita Das Sarjal, W/o. Darshan Das Sarjal	Loan Account No. 45098950000861 Loan Amount: Rs.4,00,000/-	**Immovable Property:** All that piece and parcel of land bearing part of Khasra No. 676/2, total admeasuring area of 3128 Sq.ft., together with construction thereon, Situated at Sirgitti, P.H. No.111, R.N.M. Bilaspur, Ward No.11, Tehsil & District Bilaspur (C.G.). **Bounded by: East by:** Land of Musalman, **West by:** Gali, **North by:** House of Tulsiram and **South by:** Gali.	05-12-2022 & 16-06-2023	Rs.2,65,050.83 (Rupees Two Lakh Sixty Five Thousand Fifty and Eighty Three Paise Only) as on 12-06-2023
2	1) Mr. Ajmat Ali, S/o. Abdul Bari, (Prop. M/s. Ajmat Bardaana House), 2) Mrs. Shahida Begam, W/o. Ajmat Ali	Loan Account No. 31389440000146 Loan Amount: Rs.4,20,000/-	**Immovable Property:** All that piece and parcel of diverted land bearing part of Khasra No.300/5, total admeasuring area of 600 Sq.ft., together with construction thereon, Situated at Mouza Ravabhatha, P.H. No.100/28, Pt. Ravishankar Shukla Ward No.13, R.N.M. Dharsiva-2, Tehsil & District Raipur (C.G.). **Bounded by: East by:** Land of Amina Bibi, **West by:** Land of Chandrika Sahu, **North by:** Land of Survey Chourasiya and **South by:** Road.	01-06-2023 & 16-06-2023	Rs.3,72,347.48 (Rupees Three Lakh Seventy Two Thousand Three Hundred Fourty Seven and Fourty Eight Paise Only) as on 12-06-2023
3	1) Mr. Sanjay Sharma, S/o. Suresh Sharma, 2) Mrs. Ruptara Devi, W/o. Suresh Sharma	Loan Account No. 31389420000360 Loan Amount: Rs.20,77,016/-	**Immovable Property:** All that R.C.C. super structure comprising of Flat No.108, on the First Floor, Block-A, covering super built up area of 725 Sq.ft., in the multi storied building named & styled as "Cross Road", constructed on the land bearing Khasra No.206/2, P.H. No.114/45, New P.H. No.69, Ward No.46, situated at Mouza Amlidih, R.N.M. Raipur-2, Tehsil & District Raipur (C.G.). **Bounded by: East by:** Flat No.107 & Passage, **West by:** Open Space, **North by:** Flat No.105 & Passage and **South by:** Block-B/101.	01-06-2023 & 26-06-2023	Rs.21,05,701.00 (Rupees Twenty One Lakh Five Thousand Seven Hundred One Only) as on 12-06-2023

Notice is therefore given to the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor & Mortgagor as mentioned in Column No.2, calling upon them to make payment of the aggregate amount as shown in column No.6, against all the respective Borrower/ Co-Borrower within **60 days** of Publication of this notice as the said amount is found payable in relation to the respective loan account as on the date shown in Column No.6. It is made clear that if the aggregate amount together with future interest and other amounts which may become payable till the date of payment, is not paid, **Jana Small Finance Bank Limited** shall be constrained to take appropriate action for enforcement of security interest upon properties as described in Column No.4. Please note that this publication is made without prejudice to such rights and remedies as are available to **Jana Small Finance Bank Limited** against the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors of the said financials under the law, you are further requested to note that as per section 13(13) of the said act, you are restrained/ prohibited from disposing of or dealing with the above security or transferring by way of sale, lease or otherwise of the secured asset without prior consent of Secured Creditor.

Date: 01.07.2023, Place: Raipur (C.G.) — **Sd/- Authorised Officer, For Jana Small Finance Bank Limited**

संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता हितग्राहियों को वितरित किये राशि

कोंडागांव। वर्चुअल माध्यम से अपने निवास कार्यालय रायपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को भत्ते की तृतीय किस्त वितरित की। इस कार्यक्रम में जिला कार्यालय से जिला कलेक्टर दीपक सोनी, जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम एवं उपाध्यक्ष भगवती पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा जिले के 3 हजार 277 हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता के रूप में 2 हजार 500 रूपये की दर से 81.92 लाख रूपये प्रदान किये। जिस पर कार्यक्रम में आये हितग्राहियों ने हर्ष जाहिर की एवं सभी जनप्रतिनिधियों ने हितग्राहियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए प्राप्त भत्ते को अपने विकास एवं उत्थान हेतु प्रयोग करने हेतु कहा। ज्ञात हो कि, तीन किस्तों में जिले के हितग्राहियों को अब तक 2.01 करोड़ रूपये वितरित किये जा चुके है। जिसमें प्रथम किस्त के रूप में 45.92 लाख, द्वितीय किस्त के रूप में 73.37 लाख एवं तृतीय किस्त के रूप में 81.92 लाख रुपये सीधे उनके खातों में अंतरित कर दिये गये हैं।

सिंहदेव को कांग्रेस एवं मुख्यमंत्री ने पकड़ाया झुनझुना- चंदूलाल

फिंगेश्वरः- पूर्व सांसद राष्ट्रीय भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष चंदूलाल साहू ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहर है कि छ.ग. के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वोट बैंक की राजनीति के चलते आदिवासियों में भ्रम फैला रहे है कि यूसीसी के चलते आदिवासियों के रीति-रिवाज प्रभावित होंगे। जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा। श्री साहू ने कहा कि यूसीसी एक देश-एक विधान की अवधारणा पर आधारित है। यह संविधन सम्मत है तथा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए सहमति दी है। चंदूलाल साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सलाह दी कि वे अपने नेता की तरह गलत बयानबाजी न करे। पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी. एस. सिंहदेव को अंतिम 2-3 माह के लिए उपमुख्यमंत्री बनाए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सिंहदेव को उनकी पार्टी एवं मुख्यमंत्री बघेल ने उन्हें उसी तरह झुनझुना पकड़ाया है जैसे पिछले पौने पांच साल में छ.ग. की जनता को पूरे समय झुनझुना पकड़ायी रही।

4 जुलाई से सेहत के रखवाले रहेंगे बेमियादी हड़ताल पर

फिंगेश्वरः- छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आव्हान पर जिले के स्वास्थ्य कर्मचारी 4 जुलाई से अनिश्चित कालीन आंदोलन पर रहेंगे। संघ के जिलाध्यक्ष नितेश कुमार सिन्हा ने बताया छत्तीसगढ़ के समस्त नियमित संविदा जीवनदीप स्वास्थ्य कर्मचारियों का सबसे बड़े संगठन द्वारा 24 सूत्रीय महत्वपूर्ण और जायज मांगों को पूरा करवाने आंदोलन कर रहे है। हड़ताल अवधि में मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र कि सेवाएं बाधित होंगी। स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति लगातार असंवेदनशीलता के कारण हड़ताल पर जाना पड़ रहा है।

भाजपा का दुर्ग लोकसभा स्तरीय प्रबुद्धजन सम्मेलन

भ्रष्ट टायर के चेपा की तरह प्रदेश सरकार पर लगा टीएस सिंहदेव का चेपा : पाण्डेय

स्वदेश संवाददाता, भिलाई नगर।

केंद्र सरकार के 9 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाये जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन आज भिलाई में किया गया। दुर्ग लोकसभा स्तरीय प्रबुद्धजन सम्मेलन में बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रबुद्धजन सहित भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की भ्रष्ट सरकार पर केंद्रीय नेतृत्व ने टीएस सिंहदेव का चेपा लगा दिया। वहीं मुख्य वक्ता शिवरतन शर्मा ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपस्थितजनों को दी। इस दौरान उपस्थितजनों द्वारा दिवंगत स्व. विद्यारतन भसीन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व केबिनेट मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कहा कि हम सब केंद्र सरकार के गौरवशाली 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान के माध्यम से आप सबके बीच हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में प्रबुद्धजन की अहम भूमिका होती है क्योंकि वो समाज को जागरूक करने के जिम्मेदार होते हैं। 2014 के पहले देश में हताशा और निराशा का माहौल था जहां हर जगह केवल भ्रष्टाचार होता था लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। श्री पाण्डेय ने कहा कि भाजपा ने अपने शासनकाल में भिलाई में स्कूल, कालेज और आईआईटी की स्थापना की लेकिन कांग्रेस के शासन में यहां अवैध व्यापार, अपराध, जुआं सट्टा, शराब और गांजा लाया जा रहा है। भिलाई की ये स्थिति है यहां निगम को सरकारी जमीन बेचकर कर्मियों को पैसा देना पड़ रहा है और पार्षदों को महीनों तक उनका मानदेय नहीं मिल पा रहा है।

पूर्व मंत्री श्री पाण्डेय ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाये जाने पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को प्रदेश सरकार की सच्चाई पता चल गई है इसलिए भ्रष्ट सरकार पर डिप्टी सीएम का चेपा लगा दिया गया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि सायकल का टायर भ्रष्ट हो जाने पर उस पर चेपा लगाया जाता है, वैसा ही चेपा यहां टीएस सिंहदेव का लगा है।

भिलाई में भी है टूमोरो लैंड

श्री पाण्डेय ने बताया कि भिलाई में भी लंदन के लवर्स स्कवायर की तरह एक टूमोरो लैंड है। जहां लोग खुलेआम अपने कार में शराब पीते हैं, ये लोग रात में आते हैं और अगले दिन सुबह वापस जाते हैं। पुलिस इन्हें देखकर भी मूकदर्शक बनी रहती है और कुछ नहीं कर पाती है।

इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता शिवरतन शर्मा ने केंद्र सरकार की नीतियों व विकास योजनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हर तबके के लोगों की जरूरतों का खास ख्याल रखा है। केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर लगातार चलती आ रही है। उन्होंने कहा कि नौ साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार में डिजिटल युग की शुरुआत हुई। जिससे आमजन के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की साख बढ़ी है, भारत की सेनाएं सुदृढ़ हुई हैं। आत्मनिर्भर भारत से देश और देशवासी मजबूत हुए हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक रूप से सक्षम हुआ है।

कार्यक्रम को सांसद विजय बघेल ने संबोधित करते हुए कहा कि 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने हर वर्ग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जिसका लाभ हर देश के हर कोने का हर वर्ग का नागरिक ले रहा है।

इन कल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए यह विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक गारगी शंकर मिश्र प्रबुद्धजन सम्मेलन के आयोजन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का स्वागत भाषण भिलाई जिलाध्यक्ष बृजेश बिचपुरिया व आभार प्रदर्शन लोकसभा सहप्रभारी दयवंत बांधे ने किया। मंच संचालन सीए पियूष जैन ने किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्धजन बड़ी संख्या में उपस्थित हुए।

छह माह में गांजा के 58 प्रकरणों में 11 करोड़ का गांजा जब्त

50 लाख के गांजा के साथ दो गिरफ्तार

स्वदेश संवाददाता, महासमुंद।

सिंघोड़ा पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर गांजा के तस्करी के आरोप में महिला सहित एक पुरूष को दो क्विंटल गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ओड़िशा से गांजा की तस्करी कर रायपुर में खपाने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 20 (ख) एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार को मुखबीर से सूचना मिली की बरगढ़ ओड़िशा से कार में गांजा की तस्करी कर रायपुर ले जाया जा रहा है। सूचना पर सिंघोड़ा पुलिस और साइबर सेल की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 53 रहटीखोल पर घेरा बंदी की। जहां संदिग्ध वाहनों की जांच के दौरान ओड़िशा की ओर से आर ही जायलो कार क्रमांक सीजी 04 के टी 7994 को रोका गया। जिसमें एक व्यक्ति और महिला सवार थे पूछताछ में उन्होंने अपना नाम,पता गोपालपुर थाना बंशीहारी जिला दक्षिण दिनाजपुर पं. बंगाल निवासी गणेश मजूमदार (34) और टिकियापारा थाना बेहरामपुर मुरसिदाबाद पं. बंगाल निवासी लक्ष्मी दुलाई (29) बताया। जब वाहन की तलाशी ली गई तो कार की डिक्की में 8 बोरियों में दो क्विंटल गांजा बरामद हुआ। श्री सिंह ने बताया कि आरोपियों ने गांजा छुपाने के लिए वाहन के पीछे सीट के नीचे एक गुप्त चेंबर बना रखा था। गांजे की कीमत 50 लाख है। पुलिस ने गांजा सहित तस्करी में प्रयुक्त कार कीमत छह लाख रुपए कुल 56 लाख रुपए जब्त किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माह जनवरी से लेकर अब तक जिला पुलिस ने विभिन्न थानों में गांजा तस्करी के 58 प्रकरणों में 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 4408 किलो गांजा कीमत 11 करोड़ 2 लाख रुपए सहित गांजा तस्करी में प्रयुक्त 53 वाहन कीमत ढाई करोड़ रुपए जब्त किया। श्री सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी दोस्त है और वे 25 जून को पं. बंगाल से रायपुर पहुंचे और गांजा लेने के लिए ओड़िशा रवाना हुए।

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बडेकनेरा व करंजी से बडेबेंदरी सड़क मार्ग को मरम्मत कराने की मांग

स्वदेश संवाददाता, कोंडागांव।

कोंडागांव जिला से बड़ेकनेरा सड़क मार्ग एवं करजी से बडेबेंदरी पहुंच मार्ग अत्यंत खराब हो गई हैं जिससे अतिशीघ्र मरम्मत की आवश्यकता हैं। जिला पंचायत सदस्य बालसिंग बघेल का कहना हैं कि, शासकीय कर्मचारियों के द्वारा सड़क क्षतिग्रस्त होने की सूचना सोशल मिडिया और सामाचार पत्रों के माध्यम से लगभग 2 माह पूर्व भी मरम्मत कराने हेतु अवगत कराया गया था, किन्तु कार्यवाही अभी तक लंबित हैं। इन सबके चलते आम जनता और शासकीय कर्मचारियो को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जहां शीघ्र से शीघ्र ही सड़क मार्ग को मरम्मत करवाने हेतु कलेक्टर को ज्ञापन सौंपका जल्द से जल्द सुधार करने की मांग की हैं।

कोंडागांव में मुख्यमंत्री ने 1 हजार 594 पीएम आवास हितग्राहियों को दिए 3.86 करोड़

स्वदेश संवाददाता, कोंडागांव.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपने निवास कार्यालय से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के राज्यांश की राशि हितग्राहियों के खाते में अंतरित की। जिसके तहत जिले के 1594 हितग्राहियों आवास निर्माण हेतु सहायता राशि के रूप में 3.86 करोड़ रूपये सीधे उनके खाते में अंतरित किये गये। इस कार्यक्रम में रायपुर से तकनीकी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक रामपुकार सिंह भी उपस्थित रहें। इस कार्यक्रम में जिला कार्यालय भवन कोंडागांव से कलेक्टर दीपक सोनी, जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम, उपाध्यक्ष भगवती पटेल, जनपद पंचायत कोंडागांव अध्यक्ष शिवलाल मंडावी, उपाध्यक्ष मनोज सेठिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा पीएम आवास के हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर उन्हे बधाई देते हुए उन्हे अपने आवासों को जल्द से जल्द पूरा करने हेतु प्रोत्साहित किया।

ज्ञात हो, कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत चार किस्तों में एफटीओ के माध्यम से शासन द्वारा आवास निर्माण हेतु राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित की जाती हैं। जिसके तहत आज कुल 1594 हितग्राहियों को सहायता राशि प्राप्त हुई है। जिसमें 927 हितग्राहियों को प्रथम किस्त के रूप में 231.75 लाख रुपये, 137 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त के रूप में 61.65 लाख रुपये, 49 हितग्राहियों को तृतीय किस्त के रूप में 22.05 लाख रुपये और 481 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त के रूप में 70.75 लाख रुपये प्रदान किये गये है। इस कार्यक्रम में पीएम आवास योजना ग्रामीण के हितग्राही भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

फिंगेश्वरः- ग्राम बोरसी मिडिल स्कूल व हाई स्कूल में नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची पुष्पा जगन्नाथ साहू जनपद पंचायत अध्यक्ष व सभी अतिथियों के द्वारा बच्चों को गुलाल लगाकर वह मिठाई खिलाकर बच्चों का स्वागत किया।

शासकीय प्राथमिक शाला रवेली लोहरसीद में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया

फिंगेश्वरः- छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग आदेशानुसार 26 जून से 15 जुलाई तक शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाना है इसी कड़ी में आज 30 जूनको शासकीय प्राथमिक शाला रवेली संकुल केंद्र लोहरसी शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन शाला प्रांगण में किया गया । कार्यक्रम के शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के पूजा अर्चना के साथ हुआ अतिथियों द्वारा कक्षा पहिली में नव प्रवेश लिए 12 बच्चों का चंदन बदन गुलाल से टीका लगाकर स्वागत किया गया । ततपश्चात नव प्रवेशी 12 बच्चों को मिठाई खिलाकर मुँह मीठा कराया गया।

न्यायालय तहसीलदार कुण्डा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

रा.प्र.क्रं. 202304080200018/ अ-19/वर्ष 2022-23

उद्घोषणा-ईश्तहार

सर्व साधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री संत जगन्नाथ बंजारे अध्यक्ष सतनामी समाज पण्डरिया परिक्षेत्र जिला कबीरधाम एवं जिला अन्य के द्वारा ग्राम कुण्डा तहसील कुण्डा जिला कबीरधाम स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 158/1 रकबा 0.449 हेक्टे. में से रकबा 0.15 एकड़ भूमि को सतनामी समाज भवन निर्माण हेतु आवंटित किये जाने की मांग किया गया है जो माननीय विधयाक श्रीमती ममता चंद्राकर क्षेत्र पण्डरिया से कलेक्टर महोदय कबीरधाम एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय (रा.) पण्डरिया के माध्यम से जांच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा अथवा आपत्ति पेश करना हो तो दिनांक 13.07.2023 को 11.00 बजे तक दावा/आपत्ति पक्ष समर्थन मे कागजातों सहित 2 प्रतियों मे पेश करें, उक्त दिनांक/समय के पश्चात पेश दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी

तहसीलदार
कुण्डा
मुहर जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कार्यालय कार्यपाल अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बलौदाबाजार

Office Phone and Fax No. :- 07727-296695 Email ID :- ee-res.abhanpur@nic.in

मैन्युअल निविदा आमंत्रण सूचना क्र.-36 एवं 37

क्रमांक/3206/निविदा/ग्रा.यां.से/2023-24 बलौदाबाजार, दिनांक 27/06/2023

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु द्वितीय बार मैन्युअल निविदा आमंत्रित की जाती है। अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का विवरण	कुल लागत (लाख में)	डाऊनलोड करने की अंतिम तिथि
1	2	3	4
1	विकासखंड सिमगा अंतर्गत विभिन्न शा.प्रा.शा./शा.मा.शा/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य (ग्रुप क्रमांक 01 से 89 तक)। (मैन्युअल निविदा आमंत्रण सूचना क्र.-36)	प्रत्येक कार्य की लागत राशि 15.16 लाख	प्रत्येक कार्य के लिए डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 07.07.2023
2	विकासखंड बलौदाबाजार/सिमगा अंतर्गत विभिन्न शा.प्रा.शा./शा.मा.शा/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल मे अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य 03 नग (ग्रुप क्रमांक 01 से 06 तक)। (मैन्युअल निविदा आमंत्रण सूचना क्र.-37)	प्रत्येक कार्य की लागत राशि 19.92 लाख	

2/ निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति (परिशिष्ट – 2.10 एवं निविदा दस्तावेज परिशिष्ट–2.13) तथा संशोधित व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट http://cg.nic.in/resworks अथवा कार्यालयीन अवधि मे कार्यालय मे उपस्थित होकर दिनांक 28.06.2023 से देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग, बलौदाबाजार

जी-02876/4

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा सशक्त व शक्तिशाली भारत का निर्माण : डॉ.चोपडा

स्वदेश संवाददाता, महासमुंद।

भाजपा शीर्ष संगठन के आवहान पर चलाये जा रहे महाजनसमंपर्क अभियान के तहत 29 जून को शंकराचार्य भवन महासमुंद में विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन सम्पन्न हुआ। लाभार्थी सम्मेलन के पूर्व में केबिनेट मंत्री चन्द्रशेखर साहू, सांसद चुन्नीलाल साहू, विधानसभा प्रभारी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक व पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपडा, पूर्व राज्यमंत्री पूनम चन्द्राकर, मोती लाल साहू, ऐतराम साहू, सतपाल सिंग पाली, माधव टाकसाले, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुधा साहू, सहित मंचस्थ अतिथियो ने भारत माता पण्डित दिन दयाल उपाध्याय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर माल्यापण कर पूजा अर्चना कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सांसद चुन्नी लाल साहू ने लाभार्थी सम्मेलन में उपस्थित अपार जनसमुह को सम्बोधित करते हुए कहा एकि देश की आजादी की 65 वर्षो तक केन्द्र की सरकार में कांग्रेस सहित उनके सहयोगी दलो ने देश को विकास से कोसो दूर रखने का काम किया था। एक ही परिवार की चुटकारिता करते हुए सत्ता का दुरूपयोग करते हुए कांग्रेसी एवं उनके सहयोगी दलो के पारिवारिक हितो के लिए किया गया । कांगेस का शासन काल भूख, भय, अराजकता, भष्ट्राचार और घोटालो का इतिहास लिखा गया था। पूर्व केबिनेट मंत्री पूर्व सांसद चन्द्रशेखर साहू ने कहा कि आप सभी ने भुपेश बघेल की सरकार के पहले प्रदेश में 15 वर्षो की भाजपा की सरकार को देखा है। आप सभी प्रत्यक्षदर्शी है कि कांग्रेस की सरकार ने आप सभी के लिए चलाई गई जनहित की सभी योजना को बन्द कर दिया है। योजनाओ का लाभ देने से जनता का हित होगा विकास होगा परन्तु भुपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने मॉफियो का सरंक्षण देकर अपना और कांग्रेस पार्टी के नेताओ को निजी लाभ दिया है।

भाजपा कार्यकर्ता ग्रामीणों को बता रहें केन्द्र सरकार की योजनाएं

फिंगेश्वरः- भाजपा द्वारा चलाए जा रहे घर-घर संपर्क का काफी सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। भाजपा केन्द्रीय समिति द्वारा इन दिनों छ.ग. में होने वाले विधानसभा चुनाव को लक्ष्य कर जिस प्रकार कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है उससे भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित एवं सक्रिय हुए है। इन कार्यक्रमों के लिए भाजपा कार्यकर्ता झुंड बनाकर ग्रामीणों से मिल रहे है वहीं कुछ कार्यकर्ता गांवो में अकेले ही घुम घुम कर ग्रामीणों को भाजपा की केन्द्र सरकार की उपलब्धियां गिना रहे है तथा छ.ग. की कांग्रेस सरकार की खामियां, वादाखिलाफी बताकर भाजपा की तरफ ग्रामीणों का मन बनाने प्रयत्न शील है। विकासखंड के ग्राम बोरसी में भाजपा नेता टी. आई. पद से सेवानिवृत्त बोधनलाल साहू गांव में ग्रामीणों से रूबरू होकर यूनिफार्म सिविल कोर्ट तीन तलाक, धारा 370 आदि के बारे में भाजपा के केन्द्र सरकार की उपलब्धियों गिना रहे है।

मुथुट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

muthoot HOUSING FINANCE

पंजीकृत कार्यालय : टीसी नं. 14/2074-7, मुथुट सेंटर, पुन्नेन रोड़, थिरुवनंतपुरम - 695 034.
सीआईएन नं. U65922KL2010PLC025624
कॉर्पोरेट कार्यालय : 12/ए 01, 13वीं मंजिल, परिनी क्रिसेन्जो, प्लाट नं. सी38 एवं सी39, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स- जी ब्लॉक (पूर्व), मुम्बई - 400051.
फोन नं. : 022-62728517, प्राधिकृत अधिकारी ई-मेल आईडी : authorised.officer@muthoot.com, संपर्क व्यक्ति : अंकित गोयल - 7008254155

सार्वजनिक सूचना - संपत्ति की नीलामी सह बिक्री

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों का विक्रय

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (यहां इसमें इसके उपरांत 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अधोवर्णित संपत्तियों (यहां इसमें इसके उपरांत प्रतिभूत परिसंपत्ति के रुप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इन्हें निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपरांत 'ऋणकर्ताओं' के रुप में संदर्भित) को स्वीकृत आवास ऋण सुविधाओं के संदर्भ में प्रतिभूति के रुप में अपने पास सुरक्षित रख लिया है और अब आगे यह निर्णय लिया गया है कि ऋणकर्ताओं से अतिदेय का अंतिम भुगतान प्राप्त होने तक निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर आगे के ब्याज व व्ययों के संदर्भ में जनता से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा **जैसी हैं जहा हैं', 'जैसी हैं जो हैं', 'वहा जो कुछ भी हैं' और 'बिना संसाधन'** आधार / शर्तों पर प्रतिभूति परिसंपत्ति का विक्रय कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	उधारकर्ताओं का नाम एवं लोन क्रं.	संपति का विवरण	अधिग्रहण प्रकार एवं तिथि	कुल बकाया राशि (रू.) भावी ब्याज लागू	आरक्षित मूल्य / ई.एम.डी.
1.	LAN No.: 18600082042 सुशील कुमार त्रिभुवन नाथ मिश्रा, रत्नू सुशील कुमार मिश्रा	मौजा बोरियाखुर्द कृष्णा नगर, आर एन एम रायपुर खसरा नंबर 191 64 का भाग, प.ह. नंबर 118, रवींद्रनाथ टैगोर वार्ड नंबर 51, केनरा बैंक के पीछे, मध्य, रायपुर एच.ओ., छत्तीसगढ़, 492001	भौतिक आधिपत्य 18-05-2023	Rs.23,99,597/- दिनांक 30-06-2023 को	Rs.48,00,000/- / Rs.4,80,000/-

निरीक्षण तिथि एवं समय : 10-जूलाई-2023 एवं 11-जूलाई-2023 को प्रात: 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे
नीलामी तिथि: 18-जूलाई-2023 को प्रात: 10.00 बजे से सायं 03.00 बजे एवं बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 17-जूलाई-2023
विक्रय स्थल रायपुर शाखा: दूसरी मंजिल, मकान नं. 771, कनैया भवन, सुंदर नगर, खुशालपुर रोड़, रिंग रोड़ चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001.

इच्छुक बोलीदातागण उपर अंकितानुसार तिथि एवं समय पर संपत्तियों का निरीक्षण अवलोकन कर सकते हैं।
सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्ते :- 1) विक्रय, सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत विरचित विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण रुप में यहां नीचे वर्णित नियमों एवं शर्तों तथा इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा जमा किए जानेवाले प्रस्ताव / निविदा प्रलेख में संवर्णित नियमों एवं शर्तों के भी अधीन होगा। 2) सम्पत्ति की बिक्री ऋणभारों, यदि कोई हो, सहित **जैसी है जहाँ है 'जैसी है जो है', 'जो कुछ भी वहाँ है' तथा 'उपचार रहित आधार पर** की जाएगी। 3) नीलामी के अधीन रखी गयी सम्पत्तियों का निरीक्षण उक्त विनिर्दिष्ट एवं उपर अंकित तिथि एवं समय पर किया जायेगा। सम्पत्तियों के निरीक्षण अथवा निविदाएं जमा करने से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिये उक्त सम्पर्क नम्बरों पर संबंधित स्थानों पर तैनात प्राधिकृत अधिकारियों से सम्पर्क करें। इच्छुक क्रेतागण आरक्षित मूल्य के 10% की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) के लिए **'मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में मुम्बई में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट** के साथ मुहरबंद लिफाफे में उक्त सम्पत्ति के लिये अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। 4) इच्छुक बोलीदाता को प्रस्ताव दस्तावेजों के साथ आय कर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड तथा बोलीदाता के पहचान के प्रमाण तथा निवास के प्रमाण जैसे पासपोर्ट, चुनाव आयोग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की प्रति को भी संलग्न करना होगा। 5) किसी भी स्थिति में सम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जाएगी। 6) नीलामी में उपस्थित बोलीदाताओं को निर्धारित आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त **रु. 10000/-** के गुणकों में अपने प्रस्ताव बढ़ाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। 7) सभी देयताओं एवं व्ययों जैसे निगम करों, रख-रखाव / सोसायटी शुल्कों, बिजली एवं पानी के करों तथा स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्कों, अंतरण शुल्कों तथा उक्त सम्पत्तियों से संबंधित बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण के संदर्भ में नियत अन्य व्ययों एवं शुल्कों सहित किसी भी बकाये का भुगतान सफल बोलीदाता / क्रेता को ही वहन करना होगा। 8) सफल बोलीदाता / क्रेता को (पूर्व प्रदत्त 10 प्रतिशत ईएमडी समायोजित करने के बाद) अंतिम बोली राशि के 25 का बिक्री के संदर्भ में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति से अगले कार्यदिवसों के भीतर भुगतान करना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 9) विक्रय मूल्य का शेष 75% का भुगतान प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल क्रेता को बिक्री की पुष्टि की सूचना दिए जाने के 15 दिनों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी की स्वेच्छा पर लिखित में स्वीकृत ऐसी विस्तारित अवधि में किया जायेगा। 10) प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छापूर्वक बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री के लिए निर्गत इस सूचना के किसी भी नियम एवं शर्त को परिवर्तित करने का अधिकार होगा। 11) यदि नीलामी की तिथि से एक कार्यदिवस पूर्व तक सभी लागतों, शुल्कों और प्रतिभूत लेनदार द्वारा वहन किये गये व्ययों के साथ सभी देयताओं का उपरोक्त ऋणधारक/ सह ऋणधारक द्वारा भुगतान कर दिया जाता है तो सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी तथा संभावित बोलीदाताओं से प्राप्त सभी बोलियों को मैसर्स मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रति किसी दायित्व / दावे के बिना उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा।

एतद्द्वारा ऋणधारकों/गारंटरों/बंधककर्ताओं को **सरफेसी अधिनियम की प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8 (6) एवं 9 के अंतर्गत** अपने सम्पूर्ण दायित्व को निपटाने तथा इस सूचना की तिथि से उपर वर्णित दिवसों के अंदर अद्यतन ब्याज तथा व्ययों के साथ उक्त अंकितानुसार बकाये का भुगतान करने के लिये **15 दिनों की सांविधिक सूचना दी जाती हैं,** अन्यथा उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी। ऋणधारक/कों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे 15 दिवसों के अंदर संपत्ति से अपनी अप्रमारित वस्तुओं को हटा दें, अन्यथा इन्हें उनके जोखिम और लागत पर संपत्ति से हटा दिया जायेगा।

स्थान : छत्तीसगढ़ ह/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 01.07.2023 वास्ते मुथुट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

घरेलू नल कनेक्शन देने में जांजगीर-चांपा जिला अग्रणी

राज्य में 25.29 लाख से अधिक परिवारों को मिला घरेलू नल कनेक्शन

राज्य के ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 50 लाख 10 हजार 563 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जाना है। जिसके तहत वर्तमान में 25 लाख 29 हजार 416 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ राज्य के 43 हजार 978 स्कूलों, 41 हजार 725 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 17 हजार 290 ग्राम पंचायत भवनों और सामुदायिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। जिसमें छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिला सर्वाधिक 2 लाख 25 हजार 482 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में अग्रणी है। इसी तरह राजनांदगांव जिला 1 लाख 76 हजार 104 तथा रायगढ़ जिला 1 लाख 48 हजार 994 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में क्रमशः दुसरे और तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके लिए सभी जिलों में कार्ययोजना तैयार कर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इस मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन के अतिरिक्त स्कूल, उप-स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी रनिंग वाटर की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ जमीनी स्तर पर राज्य में सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम सहित अन्य पेयजल योजनाओं सहित जल जीवन मिशन के कार्यों का क्रियान्वयन सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी डॉ. एस. भारतीदासन और मिशन संचालक श्री आलोक कटियार द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक रायपुर जिले में 1 लाख 36 हजार 381, धमतरी जिले में 1 लाख 24 हजार 898, बलौदाबाजार-भाटापारा में 1 लाख 23 हजार 339, महासमुंद जिले में 1 लाख 23 हजार 295, कवर्धा 1 लाख 13 हजार 697, बिलासपुर जिले में 1 लाख 8 हजार 651, दुर्ग 1 लाख 07 हजार 758 और बेमेतरा जिले में एक लाख 04 हजार 891 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसी तरह मुंगेली में एक लाख 02 हजार 392, बालोद में 99 हजार 601, गरियाबंद 84 हजार 479, बलरामपुर में 76 हजार 459, सरगुजा जिले के 75 हजार 169, जशपुर में 74 हजार 919, कोरबा में 71 हजार 401, सूरजपुर में 68 हजार 823, बस्तर में 67 हजार, कांकेर 65 हजार 152, कोण्डागांव में 64 हजार 717, कोरिया में 63 हजार 131, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 32 हजार 109, सुकमा में 26 हजार 393, बीजापुर 24 हजार 494, दंतेवाड़ा में 23 हजार 064 और नारायणपुर जिले में 16 हजार 623 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं।